आर. एन.आई. पंजीयन क्रमांक - 65252/92

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल का पोर्टल
www.shramkalyan.mp.gov.in

www.labour.mp.gov.in
email : welfarecommissioner@gmail.com

मासिक श्रम कल्याण

गुरू नानक देव की 550वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं

डाक पंजीयन क्रमांक मध्यप्रदेश भोपाल/303/2018-20

श्रम कल्याण समाचार पत्र का आजीवन सदस्यता शुल्क रूपए 2000 /-, नियोजको का वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपए 200/-, श्रमिक एवं श्रमिक संघों के लिए रूपए 100/- प्रतिवर्ष

बाल श्रमिक विशेषांक

वर्ष - 29 | अंक - 3 | पृष्ठ - 8 | मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल का मासिक प्रकाशन | भोपाल, नवंबर | 15 नवंबर 2019

अभूतपूर्व उपलब्धि भरा मैग्नीफिसेंट एमपी

75 हजार करोड़ के 98 निवेश प्रस्ताव, 2.11 लाख रोजगार सृजन

इन्दौर। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने विगत 18 अक्टूबर को बहुप्रतीक्षित मैग्नीफिसेंट एमपी का शुभारम्भ किया। इस आयोजन में देशभर के प्रसिद्ध औद्योगिक घरानों सहित 900 से अधिक उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस आयोजन से मार्च 2020 तक प्रदेश में 74 हजार करोड़ का निवेश होगा जिससे लगभग 2.11 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि कोई भी निवेशक या उद्योगपति प्रदेश में प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो जमीन लेते ही तुरंत कर दें। उन्हें मंजूरी के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। उनकी स्वघोषणा ही मान्य होगी, वह अपने प्रोजेक्ट में मास्टर प्लान, बिल्डिंग परमीशन नियम का पालन करते हुए काम करें और तीन साल में मंजूरियां ले लें। इसके बाद सरकार देखेगी कि उन्होंने प्रोजेक्ट में नियमों का पालन किया या नहीं।

आयोजन में मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग में पांच माहों में 74 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी।

मुख्यमंत्री ने फार्मा, आर्टिफिसियल इंटलीजेंस आईटी सेक्टर, सोलर व विंड इनर्जी, सीमेंट उत्पादन से जुड़े ग्रुप के 12 उद्योगपतियों से बात की और इस सेक्टर की समस्यायें सुनीं। उन्होंने समस्याओं को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया।

मैग्नीफिसेंट इंडिया में जो महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें इजराइल की एवगोल कम्पनी द्वारा 1250 करोड़ का निवेश फेब्रिक लाजिस्टिक जैसे क्षेत्रों के लिए है। नार्वे की स्टेट क्रॉफ्ट 1000 करोड़ से अधिक निवेश सेन्ट्रल इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने में करेगी। अडाणी ग्रुप ने एग्रो फूड और लॉजिस्टिक सेक्टर में विस्तार के लिए डेढ़ से दो गुना निवेश बढ़ाने की घोषणा की, वहीं वाल्वो में बांगरदा (भोपाल) में 300 करोड़ की लागत से नया प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका की लैप इंडिया केवल सेक्टर में निवेश का विस्तार करेगी। म.प्र. कारोबार का सेंटर बनेगा।

आयोजन की मुख्य उपलब्धि रिलायंस इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रदेश में 10 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वेयर हाउस सेक्टर में 45 डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव रही वहीं इंडिया सीमेंट द्वारा दमोह-खंडवा में सीमेंट प्लांट में 1200 करोड़ का निवेश करने तथा इसे 3000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करने की रही। आईटीसी ग्रुप द्वारा एग्रो फूड में 700 करोड़ का निवेश तथा 10 एकड़ में औषधीय खेती को प्रमोट करने का प्रस्ताव दिया गया। सन फार्मा ने फार्मो सेक्टर में 500 करोड़ लगाकर प्रोजेक्ट का विस्तार करने तथा एचईजी ने मण्डीदीप प्रोजेक्ट में 1200 करोड़ लगाने तथा 6000 करोड़ तक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया।

मैग्नीफिसेंट एमपी के आयोजन में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद म.प्र. में 30740 करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट धरातल पर आ गए हैं या फिर आना शुरू हो गए हैं। इनमें एक लाख तीन हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं ऐसे निवेश प्रोजेक्ट जिसमें चिन्हित हो गई है, आवेदन आ चुके हैं और मार्च तक निवेश आ जायेगा। यह राशि 74 हजार 260 करोड़ रुपए के हैं। इनसे एक लाख आठ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात् म.प्र. शासन के पास एक लाख 5 हजार करोड़ के ठोस निवेश प्रोजेक्ट आ चुके हैं जिनसे दो लाख 11 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव इन्दौर पीथमपुर क्षेत्र के लिए प्राप्त हुए हैं।

14 नवंबर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाना हम सबका पहला कर्तव्य है, बच्चों का बचपन सुरक्षित हो, वे शिक्षा और संस्कार ग्रहण कर देश के सम्मानित नागरिक बनकर प्रदेश तथा देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, यह हमारी पहली प्राथमिकता है।
आइये! बालश्रम की बुराई को समाप्त करने का संकल्प लें।

महेंद्र सिंह सिसोदिया
श्रम मंत्री, म.प्र. शासन

बाल श्रमिक उन्मूलन कार्ययोजना हेतु कार्यशाला का आयोजन 25 नव. को

भोपाल। प्रदेश के प्रमुख सचिव श्रम श्री अशोक शाह की पहल तथा निर्देशन में बाल श्रमिक उन्मूलन पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला एवं पैनल परिचर्चा का आयोजन 25 नवम्बर को प्रशासन अकादमी भोपाल में किया जा रहा है। जिसमें 14 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों, श्रम विभाग के सभी अधिकारियों तथा बालश्रम पर कार्य करने वाली अशासकीय संस्थाओं तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रमुख सचिव श्रम द्वारा बालश्रमिकों की संख्या के आधार पर मध्यप्रदेश का देश में चौथा स्थान रहने पर गम्भीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बंध में प्रमुख सचिव द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों तथा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर सम्मिलित रूप से बाल श्रम उन्मूलन पर कार्य करने की मंशा व्यक्त की है। कार्यशाला की तैयारियों के सम्बंध में विगत 4 नवम्बर को श्रमायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर में किया गया जिसमें अपर श्रमायुक्त श्री प्रभात दुबे, उप श्रमायुक्त श्री एस एस दीक्षित सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधी उपस्थित थे।

अशोक शाह
प्रमुख सचिव,श्रम विभाग

इन्दौर संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता 23 नवम्बर को

भोपाल। इन्दौर सम्भागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 23 नवम्बर को मेडीकेप्स यूनिवर्सिटी राऊ, पिगम्बर, इन्दौर के ग्राउण्ड में सुबह 8 बजे से किया गया है। प्रतियोगिता में इन्दौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों तथा स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक खिलाड़ी भाग लेंगे।

प्रतियोगिता के अंतर्गत समूह खेलों में पुरुष कबड्डी तथा बालीबाल (इन डायरेक्ट) तथा व्यक्गित खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर तथा 1500 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लम्बी कूद, तवा फेंक, गोला फेंक तथा भाला फेंक प्रतियोगिता सम्मिलित है। महिला श्रमिक खिलाड़ियों के लिए 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ तथा कुर्सी दौड़ (चेअर रेस) प्रतियोगिता रखी गई है। इन प्रतियोगिताओं में समूह खेलों में विजेता तथा उपविजेता टीमें तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले श्रमिक खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। इस एक दिवसीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता में आकर्षक पुरस्कार दिये जायेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रमिक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप में मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय 87/1 मारुति नगर (चौराहा, सुखालिया इन्दौर में अपनी प्रविष्ठि भेज सकते हैं। अन्य संभागों में भी श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

50 आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिये मिलेगी छात्रवृत्ति

100 छात्रों को कोचिंग सुविधा

श्री ओमकार सिंह मरकाम
मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग(म.प्र.)

भोपाल। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 50 आदिवासी छात्र-छात्राओं प्राद्योगिकी और विज्ञान पाठ्यक्रमों में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिये प्रति वर्ष वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40 हजार यूएस डालर या जो भी कम हो, उपलब्ध करवाये जायेंगे। यह राशि सीधे सम्बन्धित शिक्षा संस्थान में ट्रांसफर की जायेगी।

इसी प्रकार 100 छात्रों को अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा के लिये कोचिंग सुविधा का लाभ दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी विभाग के पोर्टल **www.tribal.mp.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त योजना तत्कालीन प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री अशोक शाह द्वारा तैयार की गई थी।

श्रम आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पाच/2015/43135-384, इंदौर दिनांक 25/09/2019

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ)में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रं. 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25/05/1982 के अनुसरण में मैं आशुतोष अवस्थी श्रमायुक्त मध्यप्रदेश एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो शिमला से ज्ञात किया गया, जनवरी 2019 से जून 2019 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ तथा इनका औसत 311 घोषित करता हूँ जो कि अधिसूचित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रं. 41 (बी) - 1-2014-ए-16 दिनांक 29/09/2014 (म.प्र. राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजन के श्रमिकों को दिनांक 1/10/19 से 31/03/2020 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

माह/वर्ष 2019	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	307
फरवरी	307
मार्च	309
अप्रैल	312
मई	314
जून	316
औसत	**1865÷6=310.83 (311)**

म.प्र. राजपत्र दिनांक 10/06/2014 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी) 1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी-जून 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10/06/2016 से लागू है।

आशुतोष अवस्थी,
श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित हैं। (आंकड़े रूपयों में)(26 दिन के मान से)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की पुनरीक्षित दरें		कुल वेतन		रूपये मे राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
(दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 30.9.2019 तक)								(दिनांक 1.10.2019 से 31.3.2020 तक)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	1200.00	46.15	7700.00	296.15	296.00	अकुशल	6500.00	250.00	1450.00	55.76	7950.00	305.76	306.00
7057.00	271.42	1500.00	57.69	8557.00	329.11	329.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	1750.00	67.30	8807.00	338.73	339.00
8435.00	324.42	1500.00	57.69	9935.00	382.11	382.00	कुशल	8435.00	324.42	1750.00	67.30	10185.00	391.73	392.00
9735.00	374.42	1500.00	57.69	11235.00	432.11	432.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	1750.00	67.30	11485.00	441.73	442.00

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें

न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की पुनरीक्षित दरें		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 30.9.2019 तक								1.10.2019 से 31.3.2020 तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	1200.00	40.00	7700.00	256.00	257.00	अकुशल	6500.00	216.66	1450.00	48.33	7950.00	265.00	265.00
7057.00	271.42	1500.00	50.00	8557.00	285.23	285.00	अर्धकुशल	7057.00	235.23	1750.00	58.33	8807.00	293.56	294.00
8435.00	324.42	1500.00	50.00	9935.00	331.16	331.00	कुशल	8435.00	281.16	1750.00	58.33	10185.00	339.50	340.00
9735.00	374.42	1500.00	50.00	11235.00	374.00	374.00	उच्चकुशल	9735.00	324.50	1750.00	58.33	11485.00	382.83	383.00

स्पष्टीकरण:

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

विशेष टीप:- उपर्युक्त अनुसूची - क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरों शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001 व 100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रेल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))

भारत का संविधान और श्रम कानून

विभिन्न श्रम कानूनों पर विवेचना प्रारम्भ करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि श्रम-कानून बनाने के सम्बन्ध में भारत के संविधान में क्या व्यवस्था की गई है ताकि इन कानूनो की अधिकारिता को सही परिप्रेक्ष्य मे जाना जा सकें।

ज्ञातव्य है कि संविधान के भाग चार मे राज्य की नीति के निदेशक तत्व सम्मिलित किये गयें हैं जहाँ तक श्रम सम्बन्धी निदेशक तत्वों का सम्बन्ध है इनमे मुख्य है-समान कार्य के लिए पुरूष तथा महिला श्रमिकों को समान वेतन उपलब्ध कराना उपक्रमों के प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी पुरूषों तथा महिला श्रमिको का स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालको की सुकुमार आवस्था का दुरूपयोग न हो काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करना उद्योग में कार्यरत श्रमिको के लिये निर्वाह वेतन का निर्धारण तथा उनके जीवन-स्तर को उपर उठाना आदि।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद - 19 में जो मूलभूत अधिकार सम्मिलित किये गये है उनमें व्यावसायिक संघ बनाना भी सम्मिलित है। केन्द्र तथा राज्य सरकारो ने उन नीति-निदेशक तत्वों को सामने रखकर ही श्रम कानूनो का निर्माण किया है।

संविधान के अनुच्छेद-245 में संसद तथा राज्यो के विधान मण्डलों की विधायिनी शक्तियो का उल्लेख किया गया है तथा अनुच्छेद 246 मे उलेखित, सप्तम अनुसूचित में उन विषयो का उल्लेख किया गया है जिनके संबंध मे संसद अथवा राज्यो विधान मण्डल कानून बना सकेगें। सप्तम अनुसूची की सूची-एक में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिनके सम्बन्ध मे केवल संसद ही कानून बना सकेगी। इस सूची के अनुक्रमांक-55 पर श्रम का विनियमन तथा खानों और तेल क्षेत्रो मे सुरक्षितता का उल्लेख है। इस प्रकार अनुक्रमाक - 61 पर संघ के नियोक्तओं से संबंधित औद्योगिक विवाद का उल्लेख है। इस प्रकार श्रम सम्बन्धी इन दोनो विषयो पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को राज्य विधान मण्डलों को नही। इस प्रष्ठभूमि मे उल्लेख करना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य मण्डल बनाया गया मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 1960 उन उपक्रमो पर प्रभावशील नहीं है और न ही इसे प्रभावशील किया जा सकता है जिनमे कार्यरत कर्मचारी केन्द्र के कर्मचारी है परिणाम स्वरूप रेल्वे, डाकतार विभाग, आयुध कारखाने, बैंक नोट प्रेस, टकसाल, आदि विभागो/उपक्रमों मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 प्रभावशील नही है क्योंकि उन सभी मे कार्यरत कर्मचारी केंद्र शासन के कर्मचारी है और इनके संबंध मे इस प्रकार के कानून बनाने के अधिकार राज्य विधान मण्डल को नही है। यह अधिकार केवल संसद को है।

सप्तम अनुसूचित में सूचि क्रमांक-दों में उन विषयो का समावेश किया गया है जिन पर केवल राज्य विधान मण्डल ही कानून बना सकते है किंतु इस सूचि मे श्रम से सम्बन्धित कोई विषय सम्मिलित नही है। सप्तम सूची में सम्मिलित सूची क्रमांक तीन जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है में श्रम सम्बन्धी शेष विषयो का समावेश किया गया है जिनमे मुख्य है- व्यावसायिक संघ, औद्योगिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन श्रम कल्याण भविष्यनिधि प्रसूति लाभ आदि। संविधान के अनुछेद-246 के अनुसार समवर्ती सुची मे सम्मिलित विषयो पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधान मण्डल दोनो को अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार समवर्ती सूची मे सम्मिलित श्रम सम्बन्धी विषयो पर संसद तथा राज्य विधान मंण्डल - दोनो को प्राप्त है। इस प्रकार समवर्ती सूची मे सम्मिलित श्रम सम्बन्धी विषयो पर संसद तथा राज्य विधान मण्डल दोनो ही कानून बना सकते है । इस प्रकार ये अधिनियम सम्पूर्ण देश पर प्रभावशील है। एक ही विषय पर यदि संसद तथा किसी राज्य विधान मण्डल द्वारा कानून बनाया जाता है और उसके प्रावधानों में कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो उसका उसका निराकरण संविधान के अनुछेद-254 में विद्यमान प्रावधान के अनुसार किया जायेगा। संसद तथा राज्यों के विद्यमान प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

संसद तथा राज्यों के विधान मण्डलो की विधायिनी शक्ति की प्रष्टभूमि मे राष्ट्रपति तथा राज्यपालो की विधायिनी शक्तियों पर नजर डालना आवश्यक है, जिसके बिना यह विवेचना अधूरी ही रहेगी ।

संविधान के अनुच्छेद -123 मे राष्ट्रपति की विधायनी शक्ति का उल्लेख है जिसके अनुसार उस समय को छोड कर जबकि संसद के दोनो सदन सत्र मे है, यदि किसी राष्ट्रपति का समाधान हो जायें कि तुरंत कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान मे है तो वह ऐसे अध्यादेशों को जारी कर सकेगा जो उसे परिस्थितियो से अपेक्षित प्रतीत हो। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा वापस भी लिया जा सकता है अध्यादेश को संसद मे दोनो सदनों के समक्ष रखना तथा उसे अधिनियम मे परिवर्तित करना अनिवार्य है। इसके लिए अनुच्छेद - 123 मे समय-सीमा निर्धारित है।

इसी के अनुरूप अधिकार, राज्यो के राज्यपालों को भी अनुच्छेद -213 मे दिये गये है किंतु बन्धन यह है कि राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में माननीय राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई अध्यादेश जारी नही करेगा:-

क. यदि वैसे ही उपलब्ध वाले विधेयक को विधान मण्डल मे प्रस्तुत किये जाने के लिए माननीय राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती, अथवा

ख. यदि वैसे ही उपलब्ध वाले विधेयक को माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना माननीय राज्यपाल आवश्यक समझता अथवा

ग. यदि वैसे ही उपलब्धता वाले राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अमान्य होता है जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्टपति महोदय की अनुमति प्राप्त न हो चुकी होती।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जारी अध्यादेश का भी वही बल और प्रभाव होगा जो विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ऐसा अध्यादेश राज्यपाल महोदय द्वारा वापिस भी लिया जा सकता है। अध्यादेश को विभिन्न मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उसे समय सीमा मे अधिनियम मे परिवर्तित करना अनिवार्य है।

उपरोक्त संदर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1996 मे राज्यपाल महोदय ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 को संशोधित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि संसोधन अध्यादेश, 1996 दिनांक 26 जून 1996 को जारी किया था और उसके पश्चात् राज्य के श्रम विभाग द्वारा उसे अधिनियम के रूप मे परिवर्तित किया गया था।

मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति

भोपाल अक्टूबर 15, 2019। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 और मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे प्रदेश में नवीन निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे। डिजिटल तकनीक के माध्यम से हितग्राहियों के कार्यो में बेहतर समन्वय तथा आवेदक मित्र व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। इससे कार्य में स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हो सकेगी।

अब 27 के स्थान पर 5 दस्तावेज होंगे मान्य

मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 में नागरिकों, कॉलोनाईजर और निवेशक सभी के लिए प्रावधान किये गये हैं। नागरिकों को छोटे आवासों की तत्काल अनुमति, नुजूल एन.ओ.सी. के प्रावधानों को कम करने, राजस्व, टाउन एंड कट्री प्लानिंग और नगरीय निकायों के दस्तावेजों में सामन्जस्य, लैंड पुलिंग के माध्यम से अधिक भूमि की वापसी, पुरानी स्कीम के लिए पारदर्शी निर्णय की प्रक्रिया, बंधक संपत्ति को चरणों में रिलीज करने की व्यवस्था, 27 प्रकार के दस्तावेज कम कर 5 दस्तावेज आवश्यक करने संबंधी व्यवस्था की गई है। कॉलोनाईजर के लिए एक राज्य एक पंजीकरण, अवैध कॉलोनाईजेशन रोकने के लिए 2 हेक्टेयर की सीमा समाप्त करने, कॉलोनी के विकास और पूर्णता की तीन चरणों में अनुमति, ईडब्ल्यूएस निर्माण की अनिर्वायता से छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार निवेशकों के लिए राजस्व, प्लानिंग एरिया की सीमा पर फ्री एफ.ए.आर., ईडब्ल्यूएस/एलआईजी बनाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन जैसे कई प्रावधान भू-संपदा नीति में किए गए हैं।

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। शहरी सार्वजनिक परिवहन को सुदृ? बनाने और शहरों में ब?ते वायु प्रदूषण को कम करने तथा गैर पेट्रोलियम वाहनों को ब?ावा देने के उद्देश्य से इस नीति में चार्जिंग, अधोसंरचना विकास और इलेक्ट्रिक वाहन और उसके घटकों के निर्माण पर छूट का प्रावधान है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन टैक्स में

मंत्रि-परिषद के निर्णय

शत-प्रतिशत रियायत प्रदान की जाएगी। प्रथम पाँच वर्षो में नगरीय निकायों के अधीनस्थ संचालित पार्किंग में शत-प्रतिशत रियायत का प्रावधान भी है। इसके साथ ही इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को प्रशिक्षित कर नये रोजगार सृजित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया। गौण खनिज आधारित न्यूनतम 25 करो? रूपये निवेश से नवीन उद्योग/विस्तार के प्रस्तावों पर दो करो? रूपए की बैंक गारंटी लेने पर सीधे उत्खननपट्टा आवंटन किया जाएगा। अनुसूची-एक में मेन्युफेक्र्ड सेंड (एम-सैंड) के नाम से एक नये गौण खनिज को जो?ा जा रहा है, जिसकी रायल्टी 50 रूपये प्रति घनमीटर प्रस्तावित की गई है। इस प्रावधान से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर के साथ अतिरिक्त खनिज राजस्व भी प्राप्त होगा। ग्रेनाईट एवं अन्य आकारीय पत्थर की खदानों में अतिरिक्त मात्रा में निकलने वाले अनुपयोगी पत्थर (वेस्ट) के विक्रय की व्यवस्था नहीं है। इस पत्थर की माँग निर्माण सामग्री के लिए काफी है। अतः ऐसे अनुपयोगी पत्थर को गिट्टी/बोल्डर निर्माण के लिए अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 9 पर जो?ा जा रहा है, जिसकी रायल्टी 120 रूपये प्रति घनमीटर प्रस्तावित की गई है। इस प्रावधान से स्थानीय स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए गौण खनिज सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा।

अनुसूची-एक और दो के चार हेक्टेयर तक के क्षेत्र जिले के कलेक्टर/अपर कलेक्टर स्वीकृत कर सकेंगे। चार हेक्टेयर से अधिक पर 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्र, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म स्वीकृत कर सकेंगे

उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। इसके अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाईल्स और पॉवरलूम जैसे चयनित सेक्टर्स के लिए रियायतों के विशेष पैकेज, यंत्र-संयत्र के साथ-साथ भवन पर भी अनुदान तथा महिला/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा संचालित ईकाइयों को अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। यह नीति एक अप्रेल 2020 से लागू की जाएगी। इससे इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्टअप को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि होगी।

बेड एन्ड ब्रेकफास्ट योजना अनुमोदित

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन योजनाओं के प्रर्वतन के क्रम में मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। योजना का उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास और नाश्ता/भोजन सुविधा प्रदाय करना, देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति तथा आतिथ्य से परिचित कराना, नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार करना है।

मासिक श्रमकल्याण 29वां वर्ष

श्रम कल्याण समर्पित उनको, श्रम जिनने साकार किया ।
विविध रुप में सृजन देकर, दुनिया का उपकार किया ।।

सम्पादकीय

15, नवंबर, 2019

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।।
अज्ञान रुपी अंधेरे से, जिसकी आँखे अन्धी हो चुकी थी, उन्हें ज्ञान रुपी अंजन की शलाका से जिसने खोल दिया, उस गुरु को नमस्कार।

भारत के बच्चों की बेहतरी के लिये उठाये गये कदम

14 नवम्बर को पूरे देश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई क्योंकि पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

बाल दिवस के संदर्भ में यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये क्या कुछ किया गया है तथा किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा 1974 में बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों पर विशेष रूप से जोर देते हुए स्वास्थ्य,पोषण, शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। सरकार ने 1991-2000 की अवधि के लिये देश की बालिकाओं के लिये अलग से कार्य योजना बनाई जिसके तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये गये:-

पहला बालिकाओं के लिये जीने का अधिकार और सुरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व, दूसरा बालिकाओं का सर्वांगीण विकास तथा तीसरा असुरक्षित बालिकाओं की देखरेख तथा सरंक्षण एवं जरूरतमंद बच्चों को विशेष सरंक्षण। भारत सरकार ने 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल नीति बनाई गई जो 2013 में लागू हुई। इस नीति के तहत देश के 18 वर्ष से कम उम्र के सभी को बच्चे माना गया तथा सरंक्षण को सुनिश्चित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग द्वारा बाल अधिकार कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया जिसे 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बाल अधिकार कन्वेंशन, बच्चे के हित और सबसे जरूरी आवश्यकताओं के लिये संसाधन के आबंटन में सर्वोपरि प्राथमिकता पर जोर देता है। बाल अधिकार कन्वेंशन बच्चों को उनके बुनियादी मानव अधिकार जैसे नागरिकता, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक अधिकार ताकि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमताओं को प्राप्त कर सकें।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को सभी सरकारें मानती है बच्चों के मामले निपटाने के निश्चित मानकों को लागू करने के लिये वचनबद्ध है। इसके तहत बच्चों के अधिकार, विकास, सुरक्षा और सहभागिता को शामिल किया गया है।

जीवन जीने का अधिकार में एक बच्चे के जीवन और उसकी सबसे बुनियादी आवश्यकताओं जिसमें एक संतोषप्रद जीवन स्तर, आश्रय, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सम्मिलित है, के अधिकार को शामिल करता है। विकास का अधिकार उन तमाम अधिकारों को शामिल करता है, जिनकी एक बच्चे को अपनी पूर्ण क्षमताओं को प्राप्त करने के लिये जरूरत हे, जैसे शिक्षा का अधिकार, खेल और अवकाश, सांस्कृतिक गतिविधियां, सूचना का अवसर, सोचने की स्वतंत्रता, चेतना और धर्म। सुरक्षा का अधिकार के तहत देश के हर बच्चे को हर तरह के उपेक्षा और शोषण से सुरक्षित करना, शरणार्थी बच्चों के लिये विशेष देखरेख, दांडिक न्याय प्रणाली में बच्चों के उत्पीड़न, सशक्त संघर्ष में लिप्तता, बाल मजदूरी, ड्रग उत्पीड़न एवं शोषण के खिलाफ सुरक्षा की बात कही गई है। भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का समर्थन कर बच्चों के प्रति अपने उद्देश्यों की प्रतिबद्धता दिखाई।

भारत के संविधान में बच्चों के लिये अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 19(1), 21, 21(ए), 23(1),24, 39(इ), 39 (एफ) और 45 में प्रावधान उल्लेखित है।

यदि देश में बाल श्रमिकों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 करोड़ बाल श्रमिक थे। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 52 लाख बाल श्रमिक देश में विद्यमान थे, जो समाज को झकझोरते के लिये पर्याप्त है। आजादी से पूर्व अंग्रेजो द्वारा 1933 में बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम लागू किया गया था। तत्पश्चात् 1986 में बाल श्रम (प्रतिरोध एवं विनियमन) अधिनियम बनाया गया तथा तत्पश्चात् इस अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों के उपरांत 2016 में नया अधिनियम लागू किया गया जिसमें 16 वर्ष तक के सभी बच्चों के काम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया।

यदि सच्चाई का साहस के साथ सामना किया जाय तो बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकि है क्योंकि समाज में आज भी छोटे-छोटे बच्चे काम करने दिखाई देते हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत हे। चाय दुकानें, ढाबे, मोटर मैकेनिक घरेलू नौकर जैसी जगहों और कचरा बीनते बच्चे आज भी परिवार की आमदनी का जरिया हैं। कार्यशालायें, सेमीनार, नुक्कड़ नाटकों से समाज को जागरूक करने की कोशिशें जारी हैं। आशा की जानी चाहिये कि बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में आने वाला समय परिणामदायक होगा।

गुरुनानक ने दिया सर्व ईश्वरवाद का संदेश

श्री गुरु नानकदेवजी ने दुनिया को सर्व ईश्वरवाद का संदेश दिया, जिससे वह सभी भाव और सत्य फलित होते हैं, जिनके साथ मानव की प्रगति और कल्याण अनिवार्यत: जुड़ा हुआ है। श्री गुरुनानक देवजी एक युगांतकारी युग दृष्टा, महान दार्शनिक चिंतक, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उनका दर्शन, मानवतावादी दर्शन था। उनका चिंतन धर्म एवं नैतिकता के सत्य, शाश्वत मूल्यों का मूल था, इसलिए उन्होंने संपूर्ण संसार के प्राणियों में मजहबों, वर्णों, जातियों आदि से ऊपर उठकर एकात्मकता का दिव्य संदेश देते हुए अमृतमयी ईश्वरीय उपदेशों से विभिन्न आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के बीच सर्जनात्मक समन्वय उत्पन्न किया। साथ ही विभिन्न संकुचित धार्मिक दायरों से लोगों को मुक्त कर उनमें आध्यात्मिक मानवतावाद और विश्वबंधुत्व के बीच अनिवार्य संबंध की आवश्यकता का सरल, सहज मार्ग प्रशस्त किया।

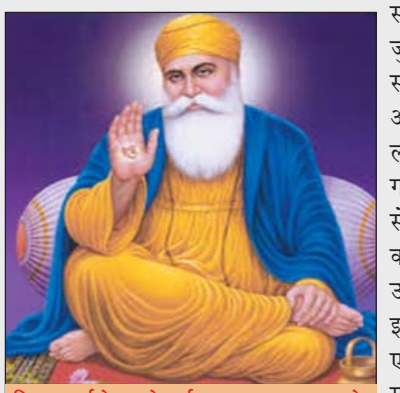
सिक्ख धर्म के पहले धर्मगुरु पूज्य गुरुनानक देव

संयोगवश उनका जन्म और बचपन ननकाना साहिब की उस धरती के साथ जुड़ा है, जहां हिन्दू और मुस्लिम संप्रदायों के आम लोग रहते थे और ज्ञानी सज्जन भी। जहां आम लोगों ने नानकजी के जीवन की गति और समस्याओं को नजदीक से देखा, वहां ज्ञानी लोगों से ज्ञान की ज्योति प्राप्त की। इस लौ को उन्होंने अपने अंदर के ईंधन से इतना प्रज्वलित कर लिया कि वह एक महाप्रकाश में परिवर्तित हो गई।

श्री गुरु नानकदेवजी दुनिया को एक नया संदेश देने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने सर्व ईश्वरवाद का संदेश दिया, जिससे वह सभी भाव और सत्य फलित होते हैं, जिनके साथ मानव की प्रगति और कल्याण अनिवार्यत: जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा चलाया गया मिशन प्रेम, समानता और भ्रातृत्व की भावना से पूर्ण एक सार्वभौमिक अनुशासन है। यह मनुष्य को इस प्रकार सोचने-बोलने और कर्म करने अर्थात जीवन जीने की प्रेरणा देता है कि कथनी और करनी के बीच द्वैत समाप्त हो जाए।

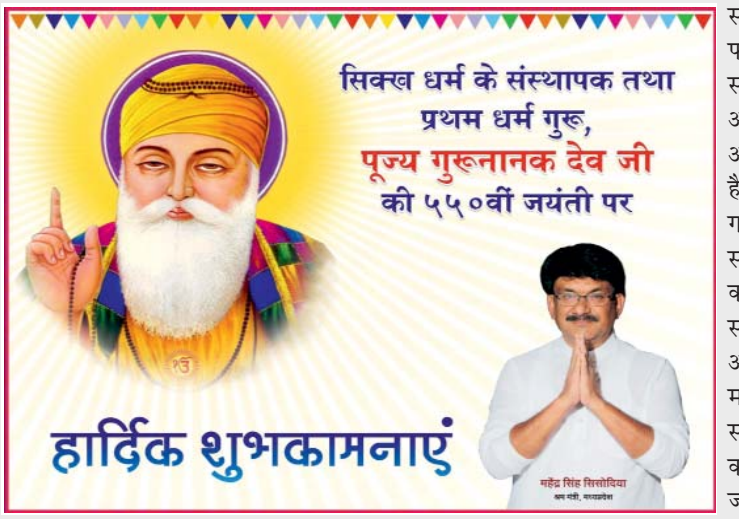

गुरू नानकदेव जी की 550 वीं जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

मासूम बच्चों की सुरक्षा के लिये सख्त कानून, पाक्सो एक्ट

बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए वर्ष 2012 में एक कानून बनाया गया था जिसे पॉक्सो कानून यानी की प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 जिसको हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस कानून के बाद भी अपराधों में कमी नहीं आने के कारण कानून को और सख्त बनाया गया है। हाल ही में 2019 में पाक्सो एक्ट में संशोधन कर अपराधी को दंड दिए जाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 के तहत अलग-अलग अपराध में पृथक-पृथक सजा का प्रावधान है। और यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या नहीं। इस अधिनियम में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसे इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे छह महीने के कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। इस कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 11 के साथ यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे को गलत नीयत से छूता (बेड टच करता) है या फिर उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करता है या उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो यह धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा के लगने पर दोषी को तीन साल तक की सजा हो सकती है।

इस कानून की धारा चार में वो मामले आते हैं जिसमें बच्चे के साथ कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में सात साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा छह के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनमें बच्चों के साथ कुकर्म, दुष्कर्म के बाद उनको चोट पहुँचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर धारा सात और आठ की बात की जाए तो उसमें ऐसे मामले आते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग में चोट पहुँचाई जाती

शेष भाग अंतिम पृष्ठ पर

जानिए ! बाल श्रम उन्मूलन के लिये बनाए गए कानूनी प्रावधान

बच्चे देश के भविष्य हैं। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी संतान बड़ी होकर संस्कारवान, शिक्षित और सम्पन्न बनें। बच्चों के लिये संचालित अनेक संस्थायें और विद्यालय, बच्चों को बचपन से अनुशासन, संस्कार और शिक्षा देन का कार्य करते हैं, वर्तमान समय में तो बिल्कुल छोटी उम्र में ही बच्चों को प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है।

किन्तु दुर्भाग्य है देश में कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्हें बचपन में यूनीफार्म की जगह

कचरे का थैला कंधे पर लटकाना पड़ता है, सिर पर भारी बोझ उठाना पड़ता है। फटे कपड़े, और नंगे पैर ये बच्चे खतरनाक और जोखिम भरी जगहों पर चार पैसों के लिये काम करते नजर आते हैं। गरीबी, भूख, अत्याचार और गाली गलौज के माहौल में बड़े होने वाले इन बच्चों का भविष्य कितना अंधकारमय होता है, ये मासूम क्या जाने। दुनिया इन्हें बालश्रमिक कहती हैं।

बालश्रम दुनिया के लगभग हर देश में फैली वह बुराई है, जो समाज की नजरें झुकाने के लिये पर्याप्त है। बाल श्रम सामाजिक, आर्थिक बुराई है, जिसकी रोकथाम चाहकर भी नहीं हो पा रही है। चाहे दुनिया के विकसित देश हो चाहे विकासशील। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी हर जगह है और गरीब परिवारों में शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया भी। इस कारण बाल श्रम भी लगभग हर देश में विद्यमान है।

अगर भारत की बात करें तो भारत में वर्ष 1986 में बाल श्रमिक(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 बनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, असुरक्षित एवं हानिकारक उद्योग, प्रक्रिया में नियोजित करने से प्रतिबंधित

बाल श्रमिकों के लिये अधिनियम

1. बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1933

2. बाल श्रमिक(प्रतिरोध एवं विनियमन) अधिनियम 1986

3. बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016

करना तथा बिना जोखिम वाली जगहों में बालश्रम को शर्तों के आधार पर विनियमित करने की मंजूरी दी गई थी किंतु इस अधिनियम के प्रावधान अधूरे होने के कारण वर्ष 2016 में

पुन: संशोधित अधिनियम 2016 लागू किया गया जिसके अनुसार बाल श्रम रोकने के लिये कड़े कानून बनाये गये तथा 14 से 18 वर्ष तक के सभी बालकों के नियोजन पर पूरी तरह रोक लगाई गई। यह अधिनियम पूरे देश में सभी कारखानों तथा स्थापनाओं में लागू है तथा सबसे बड़ी बात प्रत्येक नागरिक को इस अधिनियम में अधिकार दिये गये हैं कि वह बालश्रम की रोकथाम के लिये शिकायत या कार्यवाही कर सकता है।

बालश्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत लगभग 65 व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है जिनमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाया जाना प्रतिबंधित है। तथा इस अपराध में कम से कम 3 माह से एक वर्ष तक की सजा और 20 हजार से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। सरकार द्वारा सर्कस में, घरेलू नौकर के रूप में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इससे पूर्व पराधीन भारत में वर्ष 1933 में बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1933 लागू किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के श्रम को गिरवी करने को रोकना था। इस तरह बच्चों को गुलाम बनाकर या गिरवी रखकर कार्य करवाना दण्डनीय अपराध बनाया गया था।

देश में बच्चों के लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिये संसद में 22 मई 2012 को बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया गया जो 14 नव. 2012 से लागू हुआ। बच्चों को यौन शोषण और अत्याचारों से बचाने के लिये सोशल साइट पर बाल यौन शोषण को दर्शानेवाली या प्रोत्साहित करने वाली किसी भी प्रकार की सामग्री मीडिया, लिखित, सचित्र या कम्प्यूटर जनित चित्र, आदि शामिल है को देखना या प्रयोग करना पूरी तरह दण्डनीय किया गया है।

इस प्रकार देश में बालश्रम पर प्रतिबंध लगाने और बच्चों को अत्याचारों से बचाने के अनेक कानूनी प्रावधान मौजूद है किन्तु बाल श्रम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है तथा बाल अपराध भी जारी है। इसलिये इस दिशा में समाज को आगे बढ़कर बच्चों के हित में खड़े होने और कार्य करने की जरूरत है।

-डॉ. दिलीप बेहेरे
जनसम्पर्क अधिकारी
म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल

अनुसूची
बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत वर्जित व्यवसायों तथा प्रणालियों की तालिका
भाग क
व्यवसाय (गैर औद्योगिक गतिविधि)

कोई भी व्यवसाय जिसका संपर्क निम्न प्रक्रियाओं से हो:-

1. रेलवे द्वारा यात्रियों, माल या माल के परिवहन;
2. राख उठाना, एश पिट्स को साफ करना अथवा रेलवे परिसर में निर्माण कार्य;
3. रेलवे स्टेशन के किसी खानपान प्रतिष्ठान में काम, एक विक्रेता अथवा प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मचारी के एक प्लेटफार्म से अन्य प्लेटफार्म अथवा चलती रेलगाड़ी अंदर अथवा बाहर चलन से संबंधित;
4. रेलवे स्टेशन के निर्माण से सम्बंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहां कार्य रेल पटरी के समीप अथवा मध्य होता हो,
5. एक बंदरगाह नियोग जो बंदरगाह की सीमाओं के मध्य हो;
6. अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों में फटाकों तथा आतिशबाजी कि बिक्री से सम्बंधित कार्य;
7. कसाईखाने में;
8. ऑटोमोबाइल कार्यशालाओं और गेराज;
9. ढलाई;
10. विषाक्त अथवा ज्वलनशील पदार्थों का प्रबंधन;
11. हथकरघा तथा मशीन करघा उद्योग;
12. खानों (भूमिगत तथा जल के नीचे) तथा कोयलाखानों में,
13. प्लास्टिक इकाइयों और फाइबर ग्लास कार्यशाला में;
14. घरेलू कार्यकर्ता या नौकर;
15. (सड़क के किनारे भोजनालय) ढाबों, रेस्तरां, होटल, मोटल(सराय), चाय की दुकानों, रिसॉर्ट, स्पा या अन्य मनोरंजन केन्द्रों, और
16. गोताखोरी
17. हाथी की देखभाल
18. सर्कस में काम करना

भाग ख
प्रणालियाँ (औद्योगिक गतिविधि)

1. बीड़ी बनाना,
2. कालीन-बुनना जिसमें इसके प्रारंभिक तथा प्रासंगिक प्रणालियाँ सम्मिलित हैं;
3. सीमेंट उत्पादन, जिसमें सीमेंट को थैलियों में भरना सम्मिलित है।
4. कपड़ों कि छपाई, रंगाई तथा बुनाई जिसमें प्रारंभिक से प्रासंगिक कार्य सभी सम्मिलित हैं;
5. माचिस, विस्फोटक तथा आतिशबाजी का उत्पादन।
6. माईका को काटना तथा चीरना।
7. चपड़ा निर्माण
8. साबुन निर्माण
9. टेनिंग।
10. ऊन की सफाई।
11. प्रसंस्करण और ग्रेनाइट पत्थर को चमकाने सहित भवन और निर्माण उद्योग
12. स्लेट पेंसिल(पैकिंग सहित) का निर्माण।
13. ऐगट (सुलेमानी पत्थर) से उत्पादों का विनिर्माण।
14. विषाक्त धातुओं तथा पदार्थों जैसे सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, कैडमियम, बेंजीन, कीटनाशक तथा एस्बेस्टस का उपयोग करने वाली निर्माण प्रणालियाँ।
15. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अनुच्छेद 2(क ब) में परिभाषित ''खतरनाक प्रक्रियाएं'' तथा अनुच्छेद 87 के अंतर्गत बनाये गये नियमों में टिप्पणी अनुसार 'असुरक्षित कार्य'
16. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अनुच्छेद 2 (क)(iv) के अंतर्गत परिभाषित छपाई
17. काजू तथा काजू बादामों को अपने कवचों से निकालना तथा अन्य प्रक्रियाएं;
18. इलेक्ट्रानिक उद्योग में सोल्डरिंग की प्रक्रिया।
19. अगरबत्ती का निर्माण।
20. गाड़ियों को सुधारना तथा रखरखाव जिसमें प्रासंगिक प्रक्रियाएं जैसे वेल्डिंग, लेथ मशीन का काम, पीटकर गड्ढा बनाना तथा पेंटिंग सम्मिलित हैं।
21. ईंट भट्टों और रूफ टाइलों की इकाइयां।
22. कपास को ओटना तथा अन्य प्रक्रियाएं तथा मोजे गंजी इत्यादि सामान का उत्पादन।
23. डिटर्जेंट निर्माण।
24. फैब्रिकेशन कार्यशालाओं (लौह और अलौह)
25. रत्न को काटना और चमकाना।
26. क्रोमाईट तथा मैंगनीज कच्चे धातुओं का प्रबंधन।
27. जूट वस्त्र का निर्माण और कॉयर बनाना।
28. चूना भट्टी तथा चूने का उत्पादन।
29. ताला बनाना।
30. उत्पादन प्रक्रियाएं जिसमें सीसे का प्रयोग होता हो जैसे प्राथमिक तथा माध्यमिक धातुओं को पिघलना, सीसे की रंगाई वाली धातु सरंचना की वेल्डिंग तथा कटाई, कलई वाले अथवा जिंक सिलिकेट की वेल्डिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्रिस्टल कांच के ढेर का मिश्रण(हाथों द्वारा), सीसा रंग को निकालना अथवा झारना, एनेमेलिंग वर्कशॉप में सीसा जलाना, सीसे का खनन, प्लम्बिंग(/नलसाजी), तार बनाना, वायर पेटेंटीन्ग, सीसा ढलाई, छपाई कारखानों में प्रकार स्थापना, टाइपसेटिंग(प्रकाशन उद्योग के सांचे) को जमाना, कार के पुर्जों को जोड़ना, शोट मेकिंग तथा सीसा कांच की ब्लोईंग।
31. सीमेंट पाइप, सीमेंट उत्पादों और अन्य संबंधित कार्य का निर्माण।
32. कांच, कांच से बने पदार्थ चूड़ियों सहित, फ्लोरोसेंट ट्यूब, बल्ब और अन्य इसी तरह के कांच उत्पादों का निर्माण।
33. रंग तथा रंगाई की वस्तुओं का उत्पादन।
34. कीटनाशक का उत्पादन अथवा प्रबंधन।
35. क्षयकर तथा विषैली वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण करना अथवा प्रबंधन।
36. ज्वलनशील कोयले तथा कोयले की ईटों का उत्पादन।
37. खेल सामग्रियों का उत्पादन जिसमें सिंथेटिक सामग्री, रसायनों तथा चमड़े का उपयोग होता है।
38. फाईबरग्लास तथा प्लास्टिक का उत्पादन तथा प्रयोग।
39. तेल निष्कासन तथा परिशोधन।
40. कागज बनाना।
41. पॉटरीज और चीनी मिट्टी उद्योग।
42. पीतल के सामान की सभी रूपों में चमकाई, सजावटी गढ़ाई, कटाई वेल्डिंग तथा उत्पादन।
43. खेती की प्रक्रियाएं जहां ट्रैक्टर, गहने तथा कटाई की मशीनों का उपयोग होता है तथा भुसा की कटाई।
44. आरा मशीन - सभी प्रक्रियाएं।
45. रेशम उत्पादन के प्रक्रमण।
46. चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों के निर्माण हेतु खाल निकालना, रंगाई तथा अन्य प्रक्रियाएं।
47. पत्थर तोड़ने और पत्थर को पीसना।
48. तम्बाकू प्रक्रमण जिसमें तम्बाकू, तम्बाकू के पेस्ट का निर्माण तथा तम्बाकू का किसी भी रूप में प्रबंधन सम्मिलित हैं।
49. टायर का निर्माण, मरम्मत, री-बीडिंग तथा ग्रेफाइट का बेनिफिसिएशन।
50. बर्तनों का निर्माण, चमकाई तथा धातु की घिसाई(बफ्फिंग)।
51. 'जरी निर्माण(सभी प्रक्रियाएं)'।
52. इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
53. ग्रेफाइट को पीसना तथा प्रासंगिक प्रक्रमण;
54. धातुओं को पीसना या चमकाना;
55. हीरा कटिंग और पॉलिश;
56. खानों से स्लेट का उत्खनन;
57. चीथडे बीनना तथा सफाई सम्बन्धी कार्य;
58. प्रक्रियाएं जिसमें अत्याधिक गर्मी (जैसे भट्टी के समीप कार्य) अथवा ठण्ड का

शेष पृष्ठ 8 पर

औद्योगिक इकाइयों/स्थापना के श्रमिकों की असंदत संचित राशि का प्रकाशन

कल्याण आयुक्त मप्र श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल असंदत्त संचित राशि जाहिर सूचना

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 8 (2) के अनुसार देय असंदत्त संचित राशि जिन संस्थानों से प्राप्त हुई है, उन संस्थानों के नाम तथा संबंधित कर्मचारियों की सूची, असंदत्त संचित राशि के साथ धारा 8 (क तथा ख) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। प्रकाशन के बाद जिन श्रमिक, कर्मचारियों के दावे प्रकाशन तिथि से 180 दिवसों के भीतर प्राप्त होगें, उन्हें अधिनियम की धारा 8 (5), (6) के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

फोर्स मोटर्स लिमि.

प्लॉट नं. 3 सेक्टर 1 पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर जिला-धार म.प्र.

अक्टूबर अंक का शेष

340. कृपाराम यादव 2061.23
341. पंजाब तुमदाम 1346.24
342. गोविंद यादव 2529.34
343. रमेश धारपुरे 2659.82
344. अमित कुमार शर्मा 970.40
345. अंकित मांडले 2173.21
346. दिपक सिंह 1230.73
347. निखिल तुरकर 2167.76
348. दशरथ सिंह मेवाड़ा 2000.86
349. अशोक अहिरवार 1787.42
350. महेश शेखावत 1730.47
351. दिलीप कुमार 2222.43
352. विनोद कुमार 2222.32
353. राजकुमार उइके 1744.31
354. नरेंद्र कुमारे 3026.14
355. रामकेलाश दांगी 2237.03
356. राहुल ठाकुर 950.85
357. शुभम डोड पंवार 2168.92
358. अरविंद अहिरवार 1218.15
359. दशरथ राठोड़ 1071.15
360. संदीप सिंह पवार 2114.76
361. जसवंत जाट 2142.00
362. गौरव नामदेव 2142.00
363. मनीष सिंह 2003.08
364. बिर्जु सोलंकी 579.69
365. जितेंद्र सोलंकी 579.69
366. संदीप घोड़की 1485.65
367. संदीप अहिरवार 2969.98
368. धनेश्वर केवट 887.34
369. प्रताप सोलंकी 1279.69
370. संजु सेन 2137.63
371. राजेश माथंकर 963.95
372. जगतराज कुम्हार 2030.39
373. लवकेश सिंह 2086.68
374. धीरेंद्र कुमार मिश्रा 971.77
375. उमेश कुमार कुम्हार 1419.91
376. वीरेंद्र कुमार पटेल 2059.08
377. विवेक भारद्वाज 1997.35
378. ओमप्रकाश ओझा 1856.31
379. सतीश सिंह चावड़ा 1948.36
380. हुकुम 890.27
381. संदीप दांगी 1978.47
382. मानसुखलाल कुम्हार 2033.23
383. रामपाल मोरे 660.41
384. अनिल कुमार 915.05
385. पवन परमार 1339.21
386. मोती लाल परमार 2007.30
387. विकास कुमार 2695.07
388. कृष्णपाल सिंह 2862.82
389. दीपक पानपाटील 2090.08
390. बाल्मीक प्रसाद 969.23
391. राहुल तायड़े 1853.31
392. प्रदीप कुमार 2089.66
393. रजनीश कुमार 1253.42
394. संदीप गवई 3078.40
395. पंकज कुमार यादव 764.31
396. अजय सिंह चौहान 2061.23
397. विवेक ब्रम्हाने 1954.27
398. अजय कुमार 1449.62
399. गोकुल बादिया 2006.82
400. चंदराज अहिरवार 1531.02
401. राजमल 2869
402. भूपेंद्र सिंह पटेल 1615.69
403. सुनील सिंह 914.31
404. संजय 1923.81
405. गंगाधर 1745.05
406. सतीश कुशवाह 846.59
407. नागुजी 1692
408. अनिल राठोड़ 1799.69
409. जीवन पटेल 1824.61
410. पप्पू कुमार 1847.77
411. जितेंद्र नायक 1894.16
412. हिम्मत सिंह डोडिया 1744.77
413. पंकज सिंह 2701.13
414. रजनीश प्रजापति 909.56
415. लालजी पटेल 1411.54
416. राकेश मुवेल 1509.61
417. दीपक हरिनखेड़े 1956.54
418. धर्मेंद्र कोल 1211.54
419. रामकेश गदरी 1981.43
420. प्रद्युम्न प्रसाद 1770.85
421. अजय कुमार साकेत 1746.69
422. भरत सिंह 2926.54
423. लच्छीराम वास्केल 1789.85
424. अमर लाल पंडरे 1869.54
425. डड्डू 1103.31
426. अशोक कुमार पटेल 1190.13
427. सुरजीत कुमार पटेल 1417.51
428. सहदेव सिंह 1771.69
429. यादवेंद्र सिंह 1862.71
430. पंकज पटेल 1022.62
431. हरीश 2519.80
432. विशाल पटील 1902.69
433. अरूण पगियार 926.96
434. रजनीश कुमार कोल 1899.69
435. पुष्पेंद्र पाण्डे 1184.62
436. अनिल सेस्कर 1553.92
437. शुभम केवट 949.12
438. नीरज पाटीदार 706.62
439. प्रकाश गुप्ता 2694.40
440. गोपाल पटेल 1789.85
441. अशोक भिलाल 1849.36
442. राकेश सिंह 1093.69
443. विपिन प्रताप सिंह 654.64
444. रवि विश्वकर्मा 1001.92
445. मुन्नालाल सिंह 1152.77
446. अनिल कुशवाह 1764.73
447. संतोष कुमार यादव 1699.03
448. रविंद्र कुमार तिरोले 1818.92
449. गोपाल विश्वकर्मा 1737.08
450. बद्रीलाल 1187.58
451. राहुल कुमार 1763.66
452. अर्जुन ठाकुर 2431.97
453. अभिकरण सिंह 1779.50
454. अजय कुमार साहू 2543.24
455. महेश कापसे 672
456. सत्येंद्र सिंह ठाकुर 1948.49
457. धर्मेंद्र रायकवार 2561.52
458. शशिकांत पाण्डे 3135.91
459. पुरूषोत्तम पार्ते 669.40
460. राजेंद्र सिर्वी 788.46
461. कृष्णकांत पाठीदार 2619.01
462. अरविंद बंजारे 2155.19
463. सुनील 2934.15
464. राजकुमार 3352.52
465. रिंकु त्यागी 1150.23
466. अमर त्रिवेदी 2253.51
467. पुष्पेंद्र सिंह 882.34
468. जितेंद्र सिर्वी 1465.32
469. महेश पटेल 2680.83
470. वीरेंद्र कुमार तारवरे 1144.23
471. देवेंद्र पाठक 3124.49
472. मांगीलाल गिरवाल 1512.17
473. राजेश कुमार गुप्ता 2908.69
474. शैलेश सोलंकी 1044.23
475. धर्मेंद्र ठाकुर 2766.86
476. गौतम बंदेवर 1314.38
477. पुष्पेंद्र कुमार प्रजापति 1134.37
478. प्रेमलाल 3141.33
479. राजेंद्र रेस्वल 1584.68
480. दीपक सुल्य 1354.14
481. नीतेश क्थानावाले 1238.46
482. संजीव कुमार लोधी 1216.41
483. अरविंद कुमार पटेल 3128.96
484. विनोद मेहरा 3363.09
485. लक्ष्मण सिंह मावी 3518.82
486. विशाल मानेश्वर 1245.77
487. प्रहलाद कुमार 1044.40
488. अजय पाठक 2273.67
489. रामराज पटेल 1079.33
490. देवराज वर्मा 2972.33
491. धर्मेंद्र सिंह सोलंकी 1082.69
492. राजकुमार शर्मा 1380.62
493. जितेंद्र सिंह देवड़े 3450.14
494. राहुल दास 3220.12
495. नौशाद मंसूरी 1695.93
496. कृष्णकांत कातीय 1417.57
497. यशवंत बडोले 3273.31
498. दीपक कुमार 3142.33
499. मानवेंद्र यादव 1130.61
500. हेमंत चौहान 1441.85
501. अनिल गिरवल 3268.16
502. दिलीप कुमार मंडलोई 2934.13
503. अशोक कुमार कोरी 844.03
504. दुर्गेश कुमार 727.77
505. रामलाल दांगी 974.83
506. नरेंद्र लिखीत्कर 725.12
507. राजेश कुमार यादव 746.30
508. मो. इस्माइल अंसारी 2563.28
509. जितेंद्र जाटव 3007.01
510. नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा 1284.08
511. दलेंद्र कुमार 2548.08
512. दीपक श्रीवास 1675
513. राहुल ग्वाल 1855.57
514. सुरेंद्र प्रताप राजपूत 3291.51
515. उत्कर्ष पचोरिया 1984.33
516. गौरव सिंह पिछोड़े 1638.42
517. हरवंश पटेल 2868.07
518. ब्रजेंद्र सिंह 3230.83
519. कैलाश 3233.07
520. किरण कुमार 3330.24
521. उमेश कुमार निलकर 1486.84
522. मृत्युंजय सिंह 2086.46
523. मो.आलिम 802.13
524. रविशंकर शेरके 2661
525. अल्केश जमरे 856
526. प्रितेंद्र सिंह बघेल 3331.48
527. राहुल पटेल 1771.71
528. शिव रतन पाल 1302
529. अजय पाल 1820.91
530. अशोक कुमार पांद्रे 2271.54
531. बद्रीप्रसाद सिसोदिया 1566.34
532. जितेंद्र मुवेल 945.31
533. लवकेश प्रसाद त्रिपाठी 3423.78
534. अजय कुमार त्रिपाठी 3438.82
535. पवन सलावट 1190.01
536. संजय कुमार पाण्डे 1621.72
537. अनुज कुमार यादव 1901.05
538. राजेंद्र खावसे 2738.70
539. सुनील मुनिया 1438.64
540. सत्येंद्र कुमार रजक 1115.31
541. ओमप्रकाश पाण्डे 1037.46
542. गुलेश डोंगरे 1386.39
543. राजेश सिंह 2734.69
544. कृष्णु चौधरी 3316.70
545. जितेंद्र भील 3254.62
546. संजीव पटेल 1930.83
547. सतीश सनोड़िया 1870.25
548. प्रवीण ओमकार 887.19
549. दीपक हारोदे 3086
550. रामकिशन पवार 1689.17
551. रोहित सिंह पटेल 3136.12
552. छोटेलाल साहू 2720.14
553. नरेंद्र पुआरे 1864.46
554. कपिल कुमार खटिक 3363.89
555. रमेश 1522.46
556. गोविंद महातो 3093.56
557. सौरभ नाइडू 964
558. शैलेंद्र कोल 3169.63
559. रविंद्र कुमार 2625.85
560. सिंदस डोडवे 827
561. मगन सिंह लोहरिया 3113.14
562. राधेश्याम 1269.70
563. अनिल 3415.63
564. संतोष कुमार 855
565. पूनम बोरयाले 2958.22
566. राजेश दोयडा 1833.55
567. हीरालाल मानिक 819.58
568. अमित कुमार धुर्वे 1735.64
569. मिथुन दवर 1507.19
570. बालबीर सिंह 549
571. बलराम कुमार बदोले 2883.45
572. ओमप्रकाश प्रसाद 1601.80
573. दीपक माल्वी 1662.89
574. जितेंद्र तिवारी 1648.29
575. साहदेव कुमार 1164.50
576. दीपक साहू 1734.13
577. राधे श्याम 1561.99
578. प्रदीप कुमार रजक 2900.19
579. दीपक बुनकर 833
580. प्रदीप कुमार बीरानवर 1587.96

शेष पृष्ठ 7 पर

औद्यो. विवाद अधि., 1947 तथा म0प्र0 औद्यो. संबंध अधि.,1960 एक तुलना

अक्टूबर 2019 में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित लेख का शेष भाग

परिशिष्ट-1 में सम्मिलित विषयों के संबंध में यदि नियोजक कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कर्मचारियों के प्रतिनिधि को परिवर्तन सूचना पत्र देना होगा, किसी प्रकार यदि कर्मचारियों का प्रतिनिधि उन विषयों के संबंध में विवाद उत्पन्न करना चाहे जिन्हें परिशिष्ट-2 में सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा जो स्थाई आज्ञाओं से प्रभावित नहीं है, तो उसे नियोजक को परिवर्तन सूचना पत्र देना होगा। कर्मचारियों के व्यक्तिगत् मामलों में परिवर्तन सूचना पत्र देना आवश्यक नहीं है, ऐसे व्यक्तिगत् विवादों के निराकरण के लिए कर्मचारी स्वयं अथवा कर्मचरियों का प्रतिनिधि श्रम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

4. केन्द्रीय अधिनियम में धारा 33 क की स्थिति को छोडकर कर्मचारी को अपना विवाद अथवा शिकायत सीधे श्रम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, ऐसे विवाद को श्रम विभाग के माध्यम से ही श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायाधिकरण, जैसी भी स्थिति हो , को अधिनिर्णय अथवा पंचनिर्णय के लिए सौंपा जा सकता है हां ,केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10-क के अन्तर्गत दोनों पक्ष आपसी समझौते के तहत किसी विवाद को किसी व्यक्ति अथवा श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को पंचनिर्णय हेतु सौंपे जा सकते हैं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य अधिनियम की धारा 31 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि परिशिष्ट 2 में उल्लेखित विषयों अथवा इनसे संबंधित कोई अन्य विषय संबंधी विवाद संबंधित कर्मचारी द्वारा श्रम न्यायालय को सीधे निराकरण हेतु भेजा जा सकता है। सेवा पृथकीकरण की स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष की सीमा निर्धारित कि गई है तथा अन्य मामलों में दो वर्षों की सीमा।

5. एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था राज्य अधिनियम में की गई है जो केन्द्रीय अधिनियम में विद्यमान नहीं है। राज्य अधिनियम में श्रमिक संघों को किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी उद्योग के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार वे व्यवसायिक संघ, जिसकी सदस्यता स्थानीय क्षेत्र के संबंधित उद्योग के कर्मचारियों के लिए खुली है तथा संबंधित अवधि में इसकी सदस्यता उस उद्योग के कर्मचारियों के कुल कर्मचारियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं है तथा जिसने हड़ताल करने के पूर्व गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा कर्मचारियों की इच्छा जानने का संकल्प लिया है, वह पंजीयक, प्रतिनिधिसंघ को निर्धारित प्रपत्र में मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवश्यक छान-बीन के पश्चात् पंजीयक, मान्यता प्रदान करने अथवा प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निर्णय लेने के लिए समक्ष है । यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी व्यवसायिक संघ को स्थानीय क्षेत्र के किसी उद्योग के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे उद्योग के समस्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि दो वर्ष की अवधि समस्त होने के पश्चात् कोई अन्य व्यवसायिक संघ, प्रतिनिधि संघ के स्थान पर मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिक सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधि संघ की मान्यता समाप्त करने का अधिकार भी राज्य अधिनियम में पंजीयक को दिया गया है।

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. 1406-1482-2019-ए-सोलह-मध्यप्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960(क्रमांक 27 सन 1960) की धारा 01 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 6-5-07 ए सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है, को निरस्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों के उपक्रमों के सम्बंध में प्रभावशील होंगे, जहां तत्पश्चात् किसी भी दिवस पर कर्मचारियों की संख्या एक सौ से अधिक थी अथवा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवर सचिव

नोटः- उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त 2017 त्रुटिवश प्रकाशित हुई थी अतः सही दिनांक 14 अगस्त 2007 का संशोधन करते हुए संशोधित दिनांक 14 अगस्त 2007 सहित अधिसूचना पुनः दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को राजपत्र में प्रकाशित की गई है

6. केन्द्रीय अधिनियम में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण गठित करने का प्रावधान विद्यमान है जबकि राज्य अधिनियम में श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायालय गठित करने का प्रावधान किया गया है। दोनों अधिनियमों में इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का उल्लेख कर दिया गया है किन्तु दोनों अधिनियमों में इन न्यायालयों के आपसी संबंधों में भिन्नता है। केन्द्रीय अधिनियम में श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं हैं और दोनों ही अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य अधिनियम में इस संबंध में स्थिति भिन्न है। उक्त अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने अपीलीय अथवा पुनरीक्षण संबंधी अधिकारों में आने वाले विषयों के संबंध में श्रम न्यायालय पर देख रेख करें और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आदि मांगे। इसके अतिरिक्त राज्य अधिनियम की धारा 65 में श्रम न्यायालयों के कतिपय आदेशों के विरूद्ध औद्योगिक न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी पक्षों को दिया गया है। केन्द्रीय अधिनियम में श्रम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होता है ओर उसे केवल उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है।

7. दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यायालयीन कार्यवाही करने के संबंध में भिन्न प्रावधान विद्यमान हैं। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 34 में यह प्रावधान है कि न्यायालय में उल्लंघन की शिकायत केवल उपयुक्त शासन की अनुमति से ही कि जा सकती है। कोई नियोजक, नियुक्त अथवा व्यवसायिक संघ बिना अनुमति से उल्लंघन की शिकायत न्यायालय को नहीं कर सकता है। राज्य अधिनियम में इस संबंध में किया गया प्रावधान सर्वथा भिन्न है। उक्त अधिनियम की धारा 63 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रभावित व्यक्ति अथवा कर्मचारियों का प्रतिनिधि अथवा नियोजक उल्लंघन की शिकायत श्रम न्यायालय को लिखित में कर सकता है और उसके लिए शासन की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

8. राज्य अधिनियम की धारा 83 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यवसायिक संघ अथवा प्रतिनिधि संघ का सदस्य अथवा अधिकारी होने अथवा पंजीकृत ठहराव अथवा समझौते का लाभ प्राप्त करने अथवा साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने अथवा व्यावसायिक संघ की गतिविधियों में भाग लेने, आदि के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा पृथक, सेवा मुक्त अथवा पदोन्नति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम में नहीं है, किन्तु केन्द्रीय अधिनियम की धारा 33 में यह प्रावधान है कि समझौता अधिकारी के समक्ष समझौता कार्यवाही में विवाद लम्बित होने अथवा श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद लम्बित होने की स्थिति में कोई नियोजक उक्त विवाद से संबंधित सेवा शर्तों को कर्मचारियों के हितों के विपरीत परिवर्तित नही करेगा अथवा विवाद से संबंधित दुराचरण के लिए कर्मचारी को न तो दण्डित करेगा और न ही सेवा से पृथक करेगा।

स्व. श्री व्ही .एस. चौधरी
सेवानिवृत्त उप-श्रमायुक्त
(लेखक म.प्र. श्रम कल्याण मंडल में विधि सलाहकार रह चुके हैं)

औद्योगिक इकाइयों/स्थापना के श्रमिकों की असंदत संचित राशि का प्रकाशन

पृष्ठ 6 का शेष

581. रविंद्र सिंह गुर्जर	3246.49	600. रामदास राय	3461.11	620. राहुल सिंह	3223.01	640. जगेश कुमार सिंह	1147.80	660. सुरेंद्र कुमार तिवारी	1594.11
582. पप्पू चौहान	2999.52	601. परसराम रावत	2290.46	621. रामशंकर वर्मा	3219.68	641. मोहन सिंह बघेल	2275.12	661. सीताराम	1048.85
583. गमलेश कुमार मारावी	2916.40	602. प्रदीप कुमार पटेल	1085.19	622. नीरज कुमार	931.41	642. शुभम त्रिपाठी	960.16	662. वीरेंद्र सिंह	731.26
584. नरेंद्र राठोड़	2631.48	603. सौरभ कुमार तिवारी	646.56	623. मुकेश बलाइ	2221.03	643. सतीश ठाकुर	2958.76	663. रामकृष्ण लोधी	996
585. ज्ञानेश्वर तिवारी	2987.71	604. महेश कुमार	858.11	624. कमलेश शुक्ला	1868.05	644. अंशुल तिवारी	650.37	664. इमरान अली	655.21
586. मुकेश अनारे	2787.71	605. अंकित मिश्रा	2614.42	625. दीपक सिंह ठाकुर	1589.05	645. योगेश पाटील	2709.14	665. सुनील	1615.47
587. अनिल मवस्कर	2983.03	606. अंकित सोनी	2776.42	626. महेंद्र सिंह	2962.83	646. चैन सिंह मारावी	1134.71	666. रूप सिंह यादव	1203.51
588. पुष्पराज पटेल	1175	607. जय शर्मा	1223.64	627. संजय कुमार चौधरी	2946.57	647. ओंकार	2645.60	667. बजरंग लाल	2240.86
589. अमरेश सिंह	3318.58	608. अरूण महापात्र	3417.40	628. कुलजीत सिंह	3389.37	648. कालू गिन्नारे	1380.40		
590. विनोद कुशवाह	3133.26	609. अजय तनवर	1186.58	629. वेद प्रकाश यादव	3270.74	649. संतोष कुमार चंद्रवंशी	1355.11		
591. देवेंद्र सिंह कौरव	3507.69	610. वैभव केशिव	967.56	630. श्याम नापित	3159.42	650. संजय झोड़	2661.22		
592. देवराज सिंह	897	611. राजू कुशवाह	3330.45	631. अजय कुमार बरमन	3008.74	651. रवि कुरमी	2864.30		
593. हेमेंद्र कुमार	654	612. रजनीश पाल	1085.19	632. रामराज	2716	652. संजय कुमार	1144.30		
594. शिवनारायण	1909.46	613. जितेंद्र सिंह सोलंकी	1080.98	633. धमेंद्र कुमार	2627.02	653. धर्मेंद्र योगी	1493.98		
595. शुभम शुक्ला	3081.87	614. गणेश दशाना	3445.16	634. संदीप कौशल	3067.27	654. आनंद राजपूत	1901.20		
596. विरेंद्र कुमार विश्वकर्मा	3156.93	615. रंजीत गिरवाल	3352.56	635. राकेश चौहान	3067.27	655. नरेश शर्मा	807.04		
597. सतीश देशमुख	3234.85	616. अंकुश यादव	834.21	636.परमानंद	2068.60	656. दीपक कुमार सिंह	646.50		
598. श्याम वर्मा	3434.26	617. शुभम गंगराड़े	2585.74	637. संतोष रंधावे	1258.60	657. कोदूलाल साहू	2351.09		
599. दीपक	1131.86	618. दिलीप मेडा	3121.70	638. ललित फराकरे	1118.51	658. ओमप्रकाश सिंह	2308.13		
		619. मुकेश चौहान	3123.36	639. कृष्णा कुमार	2446.96	659. प्रवेश कुमार	2213.85		

शेष नाम अगले अंक में प्रकाशित किए जायेगें

उपरोक्तानुसार सूची में उल्लेखित श्रमिकों से 180 दिवस के भीतर मंडल को दावा प्राप्त न होने पर उपरोक्त संबंध में निर्धारित समयावधि के पश्चात म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 8 (9) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

एस.एस. दीक्षित
कल्याण आयुक्त
दिनांक : 15 नवम्बर 2019

आर .एन .आई . पंजीयन क्रमांक 65252/92 डाक पंजीयन क्रमांक मप्र/ भोपाल/ 303/2018–20

मासिक श्रमकल्याण

भोपाल, 15 नवंबर, 2019

पता: 83, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (मप्र)

विश्व बाल श्रम विरोध दिवस 12 जून का इतिहास

बाल श्रम की सामाजिक समस्या के विरोध और जागरूकता फैलाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में ''वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर'' अर्थात् बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरूआत की थी, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। यूनीसेफ के सर्वेक्षण के अनुसार विश्वभर में 150 मिलियन बच्चे बालश्रम में पड़े हुए अपना भविष्य गवा रहे हैं। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1 करोड़ थी ।

बाल श्रम के खिलाफ विश्व विरोध दिवस का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बाल श्रम के मुद्दे पर जागरूक करना और बाल श्रम को जल्द से जल्द रोकना है। बाल श्रम जो बच्चों और उनके बचपन के लिये अभिशाप बन गया है उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आयें। इस दिवस का यही उद्देश्य है कि बाल श्रम को अभिशाप मानते हुए इससे मुक्त होने के लिये विश्व भर में गंभीर चिन्तन और प्रयास किये जाय।

खेलकूद, पहाड़े-लिखाई, हँसी-ठिठोली,
यही तो है बचपन की असल पूंजी।
अपने स्वार्थ के लिये ना छीनना, उनसे
उनका ये सुनहरा अवसर।

मासूम की आंखों को सपनो की उड़ान
भरने दो,
उन्हें बेबसी लाचारी की थकान में ना
पड़ने दो।

बच्चों के बचपन में जो न रंग भर सको
ना सही
पर इनके बचपन को छिनने का हक भी
तुम्हें नहीं।

बाल श्रम एक संगीन अपराध है, इसके
दोषी समाज में एक श्राप है।

बाल श्रम पर रोक लगाओ, उन्हें उनका
हक दिलाओ
बचपन है हँसने खेलने और चैन की नींद
सोने के लिये
ना छिनना इनसे लाचारी और थकान के
आंसू रोने के लिये।

मंडल द्वारा विवाह सहायता योजना को ऑनलाइन किया गया है इस संबंध में यह सूचित करना आवश्यक है कि विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पूर्व निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन भरकर समस्त सहपत्रों सहित हितग्राही द्वारा कल्याण केंद्रों अथवा संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा किये जाएंगे आवेदन में पुत्री का समग्र आई डी का उल्लेख करना आवश्यक है। इन आवेदन पत्रों को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। - **कल्याण आयुक्त**

राष्ट्रीय बाल नीति नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम

नेशनल चाइल्ड लेबर पालिसी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14 अगस्त 1987 को स्वीकृत किया गया था, यह पालिसी 5 वर्षों के लिये थी।

यह पालिसी बाल श्रमिकों के पुनर्वास तथा चिन्हित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के नियोजन को कम करने के उद्देश्य से स्वीकार की गई थी।

बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम 2016 को जुलाई 2016 में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा मंजूरी दी गई थी और कानून अधिसूचित हो गया था अर्थात् इसके प्रावधान पूरे देश में लागू हो गये हैं।इस सम्बंध में एक विधेयक लोकसभा में 26 जुलाई को तथा राज्यसभा में 26 जुलाई 2016 को पारित किया गया था। इस कानून के जरिये पूर्व प्रचलित बाल श्रम (प्रतिरोध एवं नियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया है ताकि जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले व्यक्ति जुर्माना के अतिरिक्त दण्डात्मक सजा भी बढ़ाई जा सके।

नये कानून में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को 6 माह से दो साल तक की कैद की सजा अथवा उस पर 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माने या दोनों लगने के प्रावधान है। पहले तीन महिने से एक साल की सजा और 10 हजार से 20 हजार तक जुर्माना या दोनों के प्रावधान थे।

इस अधिनियम में खतरनाक प्रक्रियाओं में 18 वर्ष स`कम उर्म के बालकों का नियोजन प्रतिबंधित है।

बालश्रम....(पृष्ठ -5 का शेष)

53. ग्रेफाइट को पीसना तथा प्रासंगिक प्रक्रमण;
54. धातुओं को पीसना या चमकाना;
55. हीरा कटिंग और पॉलिश;
56. खानों से स्लेट का उत्खनन;
57. चीथड़े बीनना तथा सफाई सम्बन्धी कार्य;
58. प्रक्रियाएं जिसमें अत्याधिक गर्मी (जैसे भट्टी के समीप कार्य) अथवा ठण्ड का सामना करना पड़ें;
59. यांत्रिक मछली पालन;
60. खाद्य प्रसंस्करण;
61. पेय उद्योग;
62. लकड़ी का रखरखाव एवं लादना;
63. यांत्रिक लकड़ी काटने के काम;
64. गोदाम में माल रखना;
65. प्रक्रियाएं जिसमें मुक्त सिलिका अंतर्भूत होती है जैसे स्लेट, पेन्सिल उद्योग, पत्थरों की घिसाई, स्लेट पत्थरों का खनन, पत्थरों की खानें तथा गोमेद पत्थरों का उद्योग।

बालश्रम पर कविता

किस गुमनाम अँधेरे में
ऐ भारत तू पनप रहा
जहॉ युवा बल ही है शक्ति
कैसे अँधेरा गहरा रहा
जिन हाथों होना था कलम दवात
वो कैसे ईट गारों में सन रहा
कैसे मासूम सा फरिश्ता
दो वक्त की कमाने निकल रहा
किन कंधों पर बोझ डाल
ऐ जीवन तू गुजर रहा
जो ममता के ऑचल मे खिलना था

वो कैसे कीचड़ से लिपट रहा
जिन मासूम की आँखों में
कोई सपना भी भूल कर न आयें
जिन नन्हों के जीवन में
कोई अक्षर ज्ञान भी ना छाये
जिनके कोमल बचपन पर
बस मजबूरी ही लहराए
ऐसे अभागे बचपन ही
बाल श्रमिक कहलाये
बाल श्रमिक कहलाये

मासूम बच्चों की सुरक्षा..... पृष्ठ 4 का शेष

है।

इसमें दोषियों को पाँच से सात साल की सजा के साथ जुर्माना का भी प्रावधान है।

पॉक्सो अधिनियम में संशोधन बाल यौन अपराध के पहलुओं से उचित तरीके से निपटने के लिए किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि बच्चों का आक्रामक यौन उत्पीडन् करने के मामले में मौत की सजा सहित कठोर सजा का प्रावधान हो सके। इसमें कहा गया है कि यह संशोधन, देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कठोर उपाय करने की जरूरत के तहत, किया जा रहा है। इसके मुताबिक अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा परिभाषित किया गया है। यह लैंगिक रूप से निरपेक्ष कानून है।इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीडन् करने वाले दोषियों को उम्रकैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीडन् करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन आदि देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इस अपराध के लिए पाँच साल तक की कैद का प्रावधान है।

बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 14 और धारा 15 में भी संशोधन किया गया है। बच्चों से संबद्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट नहीं करने/डिलीट नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, इस तरह की चीजों को अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश करने सहित कुछ मामलों को छोड़ कर अन्य किसी भी तरह के इस्तेमाल में जेल या जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।

नए प्रावधान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की फोटो, वीडियो, कार्टून या फिर कंप्यूटर जेनरेटेड इमेज को दंडनीय अपराध की जद में लाया गया है। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5000 से लेकर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के दंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर कोई ऐसी सामग्री का व्यवसायिक इस्तेमाल करता है तो उसे जेल की सख्त सजा होगी।

इसमें व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी बच्चे की किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण करने या उस सामग्री को अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। यह संशोधन देश में बाल यौन उत्पीडन् की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत के तहत सख्त उपाय करने के लिए किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि वह हर जिले में विशेष न्यायालयों की स्थापना करें। इनकी स्थापना ऐसे जिलों में की जानी चाहिए जहाँ अधिनियम के तहत 100 या उससे अधिक मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालतों को 60 दिनों के अंदर-अंदर बच्चों पर यौन उत्पीडन् के मामलों की सुनवाई शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि वह चार हफ्तों में इसकी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है, पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है।

पाक्सो एक्ट को और सख्त बनाये जाने के बाद बच्चों को अधिक सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। कानून के साथ-साथ इस दिशा में सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। बच्चों के साथ दुर्व्यहार रोकने के लिए सबको सजग होना होगा

नियोजकों हेतु आवश्यक सूचना

विषयः मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं तत्संबंधी निर्मित नियम 1984 के अंतर्गत अभिदाय राशि भेजने के संबंध में।

मैं कल्याण आयुक्त मप्र श्रम कल्याण मंडल, भोपाल, इस सूचना के माध्यम से आपको सूचित करता हूँ कि मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के समस्त प्रावधान मप्र में स्थापित सभी कारखानों तथा ऐसी स्थापनाओं जिनमें 9 से अधिक श्रमिक किसी भी कार्य दिवस पर नियोजित हो, पर लागू होते हैं। मप्र शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14/11/84 सोलह व दिनांक 11 नवम्बर 1987 द्वारा मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के समस्त उपबंध 14 नवम्बर 1987 से आपके उद्योग/ संस्थान पर प्रभावशील है। उक्त निधि अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक छह माह अर्थात् 30 जून एवं 31 दिसम्बर को श्रमिकों/ कर्मचारियों की संख्या के अनुसार प्रति श्रमिक 10/- रुपये प्रति छमाही एवं नियोजक की ओर से 30 रुपये प्रति श्रमिक प्रति छमाही अभिदाय राशि मंडल को प्रत्येक छह माही की समाप्ति अर्थात 30 जून एवं 31 दिसम्बर पश्चात 15 दिवस के अंदर प्रारूप 'क' में विवरण सहित भेजना प्रत्येक नियोजक का दायित्व है। नियोजक के अभिदाय की न्यूनतम राशि रुपये 1500/- प्रत्येक छमाही निर्धारित है। अतः आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आपकी ओर से देय समस्त अभिदाय की बकाया राशि कल्याण आयुक्त मप्र श्रम कल्याण मंडल भोपाल के नाम चेक/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा मंडल कार्यालय 83, मालवीय नगर, भोपाल 462003 के पते पर अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

एस.एस. दीक्षित
कल्याण आयुक्त,
म प्र श्रम कल्याण मंडल,
83, मालवीय नगर, भोपाल (मप्र)

स्वामी, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) के लिए संपादक एवं प्रकाशक कल्याण आयुक्त एस.एस. दीक्षित द्वारा मप्र श्रम कल्याण मंडल, 83, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (मप्र) से प्रकाशित तथा कृषक जगत प्रिंटिंग वर्क्स भोपाल से मुद्रित। दूरभाष-0755-2572753,
www.labour.mp.gov.in Email : welfaresommmissioner@gmail.com, portal-www.shramkalyan.mp.gov.in